



क.रा.बी.नि.
ESIC

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

(श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार)

Employees' State Insurance Corporation

(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मुख्यालय/Headquarters

पंचदीप भवन, सी.आई.जी.मार्ग, नई दिल्ली-110002

Panchdeep Bhawan, CIG Marg, N. Delhi-110002

वेबसाइट: www.esic.nic.in / www.esic.in

ईमेल: rajbhasha-hq@esic.nic.in

संख्या : ए-49/13/01/2024-रा.भा./सम्मेलन

दिनांक : 22.7.2024

सेवा में,

1. बीमा आयुक्त, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, द्वारका, नई दिल्ली।
2. अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक/ निदेशक/ प्रभारी संयुक्त निदेशक /प्रभारी उप निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय/ उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम।
3. चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.निगम अस्पताल / क.रा.बी.निगम आदर्श अस्पताल।
4. संकायाध्यक्ष, क.रा.बी.निगम चिकित्सा/ दंत्य/ नर्सिंग महाविद्यालय, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान।
5. निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली/ निदेशालय (चिकित्सा) नोएडा

विषय : क.रा.बी.निगम के 33 वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन ।

महोदय/महोदया,

विदित ही है कि महानिदेशक महोदय की अध्यक्षता में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इसी क्रम में सूचित किया जाता है कि निगम के आगामी 33 वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन शीघ्र ही किया जाना अपेक्षित है।

अतः निगम की सभी इकाइयों से अनुरोध है कि वे अपने कार्यालय/ अस्पताल/ चिकित्सा महाविद्यालय संस्थान में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक की प्रास्थिति (status) एवं विशेष उपलब्धियों से संबंधित अधिकतम 08 स्लाइडों का पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन (मंगल फॉन्ट में) दिनांक 29.7.2024 तक rajbhasha-hq@esic.nic.in पर मुख्यालय में समीक्षा हेतु भिजवाने का श्रम करें। जिन इकाइयों में राजभाषा संवर्ग के पद रिक्त हैं और नियमित तैनाती होने तक राजभाषा संवर्ग के अन्य अधिकारियों (उप निदेशक (रा.भा.)/ सहायक निदेशक (रा.भा.)/ अनुवाद अधिकारी) को लिंक के रूप में राजभाषा का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, वे अपने संबंधित (प्रभार) कार्यालयों/ अस्पतालों/ संस्थानों से पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन भिजवाने हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे और निर्धारित अंतिम तिथि तक या उससे पूर्व पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन भिजवाएंगे। स्लाइड के शीर्षक/नमूने इस पत्र के साथ संलग्न हैं।

सभी इकाइयों से पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन प्राप्त हो जाने के पश्चात सम्मेलन का स्थान तथा आयोजन की तिथि के संबंध में सूचना वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। कृपया अंतिम तिथि का विशेष ध्यान रखें।

संलग्न : यथोपरि

भवदीय,

Signed by Shyam Kumar

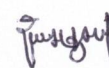
Date: 22-07-2024 17:26:10

(श्याम कुमार)

संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

प्रतिलिपि :

वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को इस अनुरोध के साथ कि इसे क.रा.बी. निगम की वेबसाइट पर अपलोड करें।

 22.7.2024.

संयुक्त निदेशक(राजभाषा)

स्लाइड 1	कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय/ अस्पताल/संस्थान का नाम वर्ष 2023-2024 क्या कार्यालय / अस्पताल राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के तहत अधिसूचित है :- राजभाषा नियम 1976 के नियम 8(4) के तहत विनिर्दिष्ट शाखाओं का विवरण :- <table border="1" data-bbox="343 384 1322 488"> <tr> <td>शाखाओं की कुल संख्या</td> <td>विनिर्दिष्ट शाखाओं की संख्या</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> वार्षिक कार्यक्रम जारी करने की तिथि : जांच बिन्दु जारी करने की तिथि : व्यक्तिशः आदेश जारी करने की तिथि :				शाखाओं की कुल संख्या	विनिर्दिष्ट शाखाओं की संख्या															
शाखाओं की कुल संख्या	विनिर्दिष्ट शाखाओं की संख्या																				
स्लाइड 2	<table border="1"> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>हिंदी कार्यशाला के आयोजन की तिथियां</th> <th>विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों के आयोजन की तिथियां</th> <th>राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजने की तिथियां</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>2</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>3</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>4</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	क्र.सं.	हिंदी कार्यशाला के आयोजन की तिथियां	विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों के आयोजन की तिथियां	राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजने की तिथियां	1				2				3				4			
क्र.सं.	हिंदी कार्यशाला के आयोजन की तिथियां	विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों के आयोजन की तिथियां	राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजने की तिथियां																		
1																					
2																					
3																					
4																					
स्लाइड 3	मूल हिंदी पत्राचार का प्रतिशत -----क्षेत्र <table border="1"> <tr> <th>क्षेत्र जिसमें पत्र भेजे गए</th> <th>हिंदी पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य</th> <th>हिंदी पत्राचार का प्रतिशत</th> </tr> <tr> <td>'क' क्षेत्र में</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>'ख' क्षेत्र में</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>'ग' क्षेत्र में</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				क्षेत्र जिसमें पत्र भेजे गए	हिंदी पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य	हिंदी पत्राचार का प्रतिशत	'क' क्षेत्र में			'ख' क्षेत्र में			'ग' क्षेत्र में							
क्षेत्र जिसमें पत्र भेजे गए	हिंदी पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य	हिंदी पत्राचार का प्रतिशत																			
'क' क्षेत्र में																					
'ख' क्षेत्र में																					
'ग' क्षेत्र में																					
स्लाइड 4	<u>राजभाषा नियम 5 का अनुपालन (हिंदी में प्राप्त पत्रों की स्थिति)</u> वर्ष के दौरान हिंदी में प्राप्त कुल पत्र : जिनके उत्तर अंग्रेजी में दिए गए : <u>राजभाषा नियम 3 का अनुपालन (अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की स्थिति)</u> वर्ष के दौरान अंग्रेजी में प्राप्त कुल पत्र : जिनके उत्तर अंग्रेजी में दिए गए : <u>राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के तहत जारी दस्तावेजों की स्थिति</u> जारी कुल दस्तावेज : केवल अंग्रेजी में जारी दस्तावेज : केवल हिंदी में जारी दस्तावेज :																				

स्लाइड

5

राजभाषा निरीक्षण

कुल शाखा कार्यालय	निरीक्षण किए गए शाखा कार्यालयों की संख्या

कुल शाखाएं	निरीक्षण की गई शाखाओं की संख्या

हिंदी पुस्तकों की खरीद पर व्यय

पुस्तकों की खरीद का कुल व्यय	हिंदी पुस्तकों की खरीद पर कुल व्यय	हिंदी पुस्तकों की खरीद पर व्यय का प्रतिशत

स्लाइड

6

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें

क्र.सं.	बैठक की तिथि	कार्यालयाध्यक्ष की प्रतिभागिता हां/ नहीं

स्लाइड

7

हिंदी प्रोत्साहन / पुरस्कार योजनाएं

प्रोत्साहन / पुरस्कार योजना का नाम	पुरस्कृत कार्मिकों की संख्या
हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन योजना	
मूल हिंदी टिप्पण-आलेखन प्रोत्साहन योजना	
राजभाषा कार्यान्वयन सुझाव पुरस्कार योजना	
हिंदी डिक्टेशन प्रोत्साहन योजना	

स्लाइड

8

अन्य उपलब्धियां

- नोट : 1. इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन कुल 8 स्लाइडों की हो।
2. स्लाइडों में फोटोग्राफ और स्कैन रिपोर्टें संलग्न न की जाए।
3. स्लाइड बदलने का समय समुचित रखा जाए।
4. उप निदेशक (राजभाषा) अपने-अपने अंचलों से संबंधित उपलब्धियों का विवरण अलग स्लाइडों में प्रस्तुत कर सकते हैं।